



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062022-236884
CG-DL-E-28062022-236884

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2783]
No. 2783]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2022/आषाढ़ 7, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2022/ASHADHA 7, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2022

(आयकर)

का.आ. 2925(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारत के सरकारी राजपत्र भारत सरकार, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना सं. 54/2014 में का.आ. 2756 (अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के तहत निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

कथित अधिसूचना में, सारणी में,-

(I) क्रम संख्या 1 में, स्तम्भ (4) में, (iii) से (ix) तक की प्रविष्टियों के लिए, निम्न प्रविष्टि को बदला जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली”

(II) क्रम संख्या 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्न क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली	दिल्ली	(i) आयकर आयुक्त(अन्तर्राष्ट्रीय कराधान)- 1, दिल्ली (ii) आयकर आयुक्त (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान)-2 दिल्ली (iii) आयकर आयुक्त (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान)-3 दिल्ली (iv) आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण)-1, दिल्ली (v) आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण)-2, दिल्ली (vi) आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण)-3, दिल्ली (vii) आयकर आयुक्त (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता”

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में आएगी।

[अधिसूचना सं. 72/2022/फा. सं.187/3/2020-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 54/2014 भारत के सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 2756 (अ) दिनांक 22 अक्टूबर 2014 के तहत प्रकाशित की गई थी।